# पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, अटल नगर (छ.ग.)
(पूर्व नाम– छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स:07712263234
ई–मेल: gopniva321@gmail.com

क्रमांक/524/D.U.H.S./गोप./2026 रायपुर, दिनांक 30/3/2026

प्रति,

**प्राचार्य**
विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त
शासकीय एवं निजि नर्सिंग महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

**विषयः–** **छात्र/छात्राओं से प्रायोगिक परीक्षा हेतु अवैध वसूली के संबंध में।**

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय को शिकायत प्राप्त हुआ है कि विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालयीन प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराने के लिए अवैध वसूली किया जा रहा है।

अवगत हो कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तत्संबंध में समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाय।

यदि किसी संस्थान के द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो उस संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

**कुलसचिव**

पृ0क्र0/525/D.U.H.S./गोप./2026 रायपुर, दिनांक 30/3/2026

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, छ0ग0 नर्सिंग कांउसिल, पुराना नर्सेस हॉस्टल डी.के.एस. भवन परसिर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. माननीय कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक पं.दी.द.उपा.स्वा.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी वित्त/परीक्षा विभाग, पं.दी.द.उपा.स्वा.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**कुलसचिव**